

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

फैक्स /
ई-मेल

समाहर्ता,
गोपालगंज।

पटना-15, दिनांक- 26-09-17

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड 40-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1305 विधि प्रभार मद में 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रूपया मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-807(6) दिनांक-15.09.2017 के आलोक में LPA No-1433/11 एवं 192/16 बिहार सरकार बनाम श्रीमती मंजू सिंह में मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या-20843/2017 में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय को विषय शीर्ष-1305 विधि प्रभार मद में 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रूपया मात्र आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।


3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

कू0पू0उ0